

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज0)

क्रमांक : स्था./प.35/2024/46

दिनांक: 20.01.2024


--: आदेश ::--

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम, 1986 यथा संशोधित के तहत इस न्यायक्षेत्र के अन्तर्गत पदस्थापित श्री कबीरूल हसन, रीडर ग्रेड-प्रथम, न्या. विशिष्ट न्यायाधीश, अनु. जाति/अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, करौली को वरिष्ठ मुंसरिम पे लेवल संख्या-14 (56100-177500) के पद पर अस्थाई रूप से तुरन्त प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है।

कर्मचारी श्री हसन की उक्त पदोन्नति उनके इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। कर्मचारी का नियमानुसार पदोन्नत पद पर उपस्थिति की तिथि से वेतन नियतन किया जावे।

कर्मचारी का पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जा रहा है।

इसका इन्द्राज कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में किया जावे।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)

दिनांक: 20.01.2024

क्रमांक : स्था./प.35/2024/736-738

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, करौली
02. विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण करौली
03. श्री कबीरूल हसन, रीडर ग्रेड-प्रथम, Spl. Court SC/ST (POA) Cases करौली
04. आदेश/निजी/संबंधित पत्रावली


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)